From,

Lakshmi Kant Shukla,
District Judge,
Sant Kabir Nagar.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

Letter No. 65/XV : Sant Kabir Nagar : **Dated** : January 13 , 2022.

Subject: Regarding closing of District Court, Sant Kabir Nagar on 14.01.2022 due to COVID-19.

Sir,

With due respect, it is submitted that, as per report of Chief Medical Officer, Sant Kabir Nagar total 09 Officers/Officials of District Court, Sant Kabir Nagar have been tested COVID-19 positive.

Therefore, in compliance of directions mentioned in Hon'ble High Court's letter no. 2423/LXXXVII-CPC/eCourts Allahabad dated 09.01.2022, as per opinion of District Magistrate, Sant Kabir Nagar, all the Courts and Offices of District Court, Sant Kabir Nagar has been closed for three days i.e. 14.01.2022 to 16.01.2022, for complete sanitization of entire court campus.

It is therefore, requested that, the said report may kindly be placed before Hon'ble Court for its kind perusal.

With regards,

Encl. As above

Yours faithfully

13.01.2022

(Lakshmi Kant Shukla)
District Judge
Sant Kabir Nagar

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी
सन्त कबीर नगर

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश
संत कबीर नगर।

पत्रांकः मेमो /कोविड–19/2021–22/1088 दिनांकः 13 जनवरी, 2022

महोदय,

कृपया मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद–सन्त कबीर नगर के पत्र संख्याः 10786/कोविड–19/धनात्मक/सूचना/2021–22 दिनांकः 13.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है, कि जिला इपिडेमिक टीम के द्वारा जिला सत्र न्यायालय, सन्त कबीर नगर में कोविड–19 के किए गए एन्टीजन एवं आर.टी.पी.सी.आर. परीक्षण में कुल 09 व्यक्ति कोविड–19 धनात्मक पाए गए है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल पत्रांक 2423/LXXXVII-CPC/e-Court/Allahabad,dt 09-01-2022 के कम मे न्यायालय परिसर के पचास मीटर परिक्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। तत्काल प्रभाव से उक्त क्षेत्र में व्यक्तियों का आवागमन आगामी तीन दिन तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। सैनिटाइजेशन एवं अन्य आवश्यक कार्य कोविड प्रोटोकाल के अनुसार प्रतिदिन किए जायेंगें।

भवदीया,

जिलाधिकारी
सन्त कबीर नगर

पत्रांक व दिनांकः उक्त प्रकार।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल क्षेत्र को सील करते हुए प्रतिदिन क्षेत्र को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करें।
2. उप जिला मजिस्ट्रेट–खलीलाबाद को उक्त परिक्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद–सन्त कबीर नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
सन्त कबीर नगर

Scanned with CamScanner

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।

प्रशासनिक आदेश संख्या 25 /2022

दिनांकितः जनवरी 13 , 2022.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सन्त कबीर नगर द्वारा पत्रांक कोविड-19/ धनात्मक/सूचना/2021-22/10784 दिनांकित 13.01.2022 द्वारा इस आशय की आख्या दी गयी है कि "आज दिनांक 13.01.2022 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की इपिडिमिक टीम द्वारा जिला सत्र न्यायालय सन्त कबीर नगर में कोविड-19 एन्टीजन एवं आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट किया गया, जिसमें कुल 09 अधिकारी/कर्मचारीगण कोविड- 19 धनात्मक (एन्टीजन) पाये गये है।"

उक्त के अनुक्रम में, जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर द्वारा पत्रांक मेमो/कोविड-19/2021-22/ICCC दिनांकित 13.01.2022 के माध्यम से इस आशय की आख्या दी गयी है कि "न्यायालय परिसर के 50 मीटर परिक्षेत्र को कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। तत्काल प्रभाव से उक्त क्षेत्र में व्यक्तियों का आवागमन आगामी तीन दिन तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। सैनिटाइजेशन एवं अन्य आवश्यक कार्य कोविड प्रोटोकाल के अनुसार प्रतिदिन किये जायेंगे।"

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 2423/LXXXVII-CPC/e-Courts इलाहाबाद दिनांकित 09.01.2022 में यह उल्लिखित किया गया है कि-

> **"In case, if the District Magistrate/Chief Medical Officer of a concerned district is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period due to COVID-19, the then District Court/Outlying Court may be closed for the said period and all intimation mentioning the specific reasons will be sent to Allahabad High Court."**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त आख्या में न्यायालय परिसर के सैनिटाइजेशन हेतु नगर पालिका, खलीलाबाद को सूचित किये जाने का कथन किया गया है।

अतएव, जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सन्त कबीर नगर की आख्या के आधार पर जनपद न्यायालय परिसर सन्त कबीर नगर में कोविड-19 से धनात्मक पाये गये अधिकारी/कर्मचारीगण की संख्या के दृष्टिगत, उक्त वायरस के प्रभाव एवं प्रसार को रोकने हेतु तथा अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के स्वास्थ्य एवं जान की सुरक्षा हेतु जनपद न्यायालय परिसर का सघन सैनिटाइजेशन कराये जाने हेतु न्यायिक अधिष्ठान, सन्त कबीर नगर के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय **आगामी तीन दिन के लिये पूर्ण रूप से बन्द किये जाता है।** न्यायिक अधिष्ठान, सन्त कबीर नगर के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय दिनांक 17.01.2022 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों के अधीन संचालित किये जायेंगे।

समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में उनके न्यायालय में नियत मुकदमों में सामान्य तिथियां निर्धारित करें तथा सिस्टम सहायक को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बन्द की अवधि में न्यायालय परिसर का पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाना सुनश्चित करें।

रिमाण्ड की कार्यवाही रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अवकाश के दिनो की भांति सम्पादित की जायेंगी।

आदेश की प्रति जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कारागार बस्ती/सन्त कबीर नगर, अध्यक्ष/महामंत्री, जनपद बार एसोसिएशन एवं सिविल बार एसोसिएशन, सन्त कबीर नगर को प्रेषित की जाये।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

13.01.2022

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
जनपद न्यायाधीश
सन्त कबीर नगर।

Scanned with CamScanner